

पत्रसं०-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०-३/स०प०/१२-१३/ टैक्स आडिट/

1213095/06-3-13

1971

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वि०अनु०शा० अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: ०५ मार्च, २०१३

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-२००८ की धारा-४४ तथा वैट नियमावली के नियम-४३ में नकशों की शुद्धता का परीक्षण एवं आईटीसी आदि की सत्यता की जाँच करने के उद्देश्य से टैक्स आडिट का प्राविधान किया गया है। इस कार्य हेतु प्रक्रियात्मक व्यवस्था टैक्स आडिट मैनुअल में निर्धारित की गयी है जिसका अध्याय-५ टैक्स आडिट की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। मैनुअल के अध्याय-५ के प्रस्तर-१ में टैक्स आडिट हेतु व्यापारियों की श्रेणी को वर्गीकृत किया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्भागवार डाटाबेस तैयार किये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-५ के प्रस्तर-२ में टैक्स आडिट हेतु व्यापारियों के चयन की व्यवस्था दी गयी है जिसके उप प्रस्तर-(ii) के अनुसार कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा व्यवस्था निर्धारित करते हुए व्यापारियों के लगभग २० प्रतिशत व्यापारियों का चयन किया जाना है। पूर्व में इस हेतु व्यापारी की टिन संख्या के अंतिम अंक को चयन का आधार रखा गया, परन्तु इस व्यवस्था की समीक्षा किये जाने पर इस व्यवस्था को और अधिक तार्किक एवं परिणामपरक बनाने की आवश्यकता पायी गयी। अतः सम्यक् विचारोपरांत टैक्स आडिट हेतु व्यापारियों के चयन के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित करते हुए साफ्टवेयर तैयार कराया गया है:-

S.No.	Parameters
1	Challan amount =0
2	Change in pattern of Tax invoice Purchases made
3	Change in the pattern of purchases made from the unregistered dealer
4	Change in the Range of turnover
5	Frequency of filing revised returns
6	Taxable turnover/Gross turnover (for sale)
7	Taxable turnover/Gross turnover (for purchase)
8	Exempted turnover/Gross turnover (for purchase)
9	Exempted turnover/Gross turnover (for sale)
10	Concessional Purchase/Total Purchase
11	Concessional sale/Total Sale

२- उपरोक्त मानकों के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा दिये गये अंक (स्कोर) के आधार पर चयनित व्यापारियों के सम्बन्ध में ज्वा०कमि०(टैक्स आडिट) के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(i)- सर्वप्रथम विभागीय बेवसाइट <http://comtaxup.nic.in> पर उपलब्ध MIS Report for Department पर क्लिक किया जायेगा।

(ii)- इसके पश्चात् Menu पर उपलब्ध Report for Audit Selection पर क्लिक किया जायेगा।

- (iii)- ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने सम्भाग का चयन Drop down से किया जायेगा।
 - (iv)- अब ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।
 - (v)- लॉग इन के पश्चात् सम्भाग से संबंधित खण्ड कार्यालयों की पृथक-पृथक अथवा समेकित रिपोर्ट डाउन लोड की जा सकती है।
 - (vi)- माड्यूल में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उक्त मानकों के आधार पर स्वतः ही टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(ii) में वांछित 20% व्यापारियों का चयन होकर सूची उपलब्ध हो जायेगी, इसके अग्रेतर चयन सम्बन्धी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहेगी।
 - (vii)- उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों की प्राप्त सूची के सम्बन्ध में टैक्स आडिट किये जाने की अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
- 3- अतः उत्तर प्रदेश संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-43(3) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित टैक्स आडिट के प्रयोजनार्थ चयनित व्यापारियों को उनका चयन वर्ष 2010-11 के टैक्स आडिट हेतु किये जाने विषयक सूचना दिनांक 31-3-2013 से पूर्व संबंधित करनिर्धारण अधिकारियों के माध्यम से तामील कराना तथा इस संबंध में अन्य यथा आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 4- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित इस माड्यूल के द्वारा व्यापारियों का टैक्स आडिट हेतु चयन किये जाने की यह व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी प्रभावी होगी।


(हिमांशु कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0: व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ प्रेषित।


(सम्पूर्णानन्द पाण्डेय)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।